भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1035
दिनांक 04 दिसम्बर, 2024/ 13 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

ओडिशा को प्राकृतिक आपदाओं के लिए केंद्रीय सहायता

1035 श्री निरंजन बिशी:
डॉ. सस्मित पात्रा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वित्तीय वर्षों मे चक्रवातों से हुई तबाही के बाद ओडिशा को कुल कितनी केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है;
(ख) ओडिशा को आवंटित की गई धनराशि का चक्रवात-वार ब्यौरा क्या है और आवंटन के उद्देश्य क्या हैं; और
(ग) प्रत्येक चक्रवात के बाद 100 प्रतिशत क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए कितने घरों को मंजूरी दी गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें बाढ़ और भूस्खलन सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भारत सरकार (जीओआई) की अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही अपने पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। हालांकि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है।

<u>दिनांक 04.12.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 1035</u>

2019-20 से 2024-25 की अवधि के दौरान एसडीआरएफ के तहत ओडिशा राज्य सरकार को धनराशि के आवंटन और रिलीज का विवरण तथा विभिन्न चक्रवातों के मद्देनजर एनडीआरएफ के तहत जारी धनराशि का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग): यह मंत्रालय चक्रवात सहित किसी भी आपदा के कारण क्षतिग्रस्त घरों के लिए स्वीकृत घरों के बारे में कोई डेटा नहीं रखता है, क्योंकि प्रभावित लोगों को राहत सहायता का वितरण राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हालाँकि, क्षतिग्रस्त घरों/ झोपड़ियों के लिए वित्तीय सहायता प्रभावित लोगों को एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ से सहायता की मदों और मानदंडों के अनुसार प्रदान की जाती है, जो गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

******

राज्य सभा अता. प्रश्न सं. 1035 दिनांक 04.12.2024

अनुलग्नक

2019-20 से 2024-25 (25.11.2024 तक) की अवधि के दौरान राज्य में विभिन्न चक्रवातों के मद्देनजर एसडीआरएफ के तहत ओडिशा राज्य सरकार को धन के आवंटन और रिलीज का विवरण और एनडीआरएफ के तहत जारी धन का विवरण निम्नानुसार है: -

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	एसडीआरएफ के तहत आवंटन			एसडीआरएफ के अंतर्गत केंद्रीय हिस्से की जारी राशि	एनडीआरएफ से जारी धनराशि (एसडीआरएफ में उपलब्ध 50% प्रारंभिक शेष राशि के समायोजन के अधीन)
	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	कुल योग		
2019-20	681.75	227.25	909.00	552.00	3294.10 (चक्रवात 'बुलबुल' के लिए 179.64 रुपये और चक्रवात 'फानी' के लिए 3114.46 रुपये)।
2020-21	1283.20	428.00	1711.20	1283.20	500.00 (चक्रवाती तूफान 'अम्फन' के लिए 'खाता आधार पर')
2021-22	1283.20	428.00	1711.20	1283.20	500.00 (चक्रवाती तूफान 'यास' के लिए 'खाता आधार पर')
2022-23	1348.00	448.80	1796.80	1348.00	--
2023-24	1415.20	471.20	1886.40	1415.20	--
2024-25	1485.60	495.20	1980.80	742.80	--

******